

सा०/No. : 5-1(20)/2008-पीडी

Dated 05.12.2023

प्रेषक : संयुक्त सचिव (प्रशासन)

From : Joint Secretary (Admn.)

सेवा में : सी.एस.आई.आर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान

To : The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

विषय: 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) व्यवस्था के दौरान सीएसआईआर में वैज्ञानिक और तकनीकी पदों के लिए प्रैक्टिस बंदी भत्ते (नॉन- प्रैक्टिसिंग अलाउंस) का भुगतान जारी रखना - उसका अनुमोदन।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वैज्ञानिक एवं तकनीकी पदों के लिए प्रैक्टिस बंदी भत्ते के कार्यान्वयन से संबंधित मामला विचाराधीन था।

अब, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की व्यवस्था के दौरान सीएसआईआर में न्यूनतम चिकित्सा और पशु चिकित्सा योग्यता अर्थात् एमबीबीएस और एमडी, एमबीबीएस और पीएचडी, बीएएमएस और पीएचडी, बीवीएससी और एमवीएससी, बीवीएससी और पीएचडी तथा बीवीएससी एवं एच वाले वैज्ञानिक और तकनीकी पदों के लिए वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग दिनांक 24.11.2023 के आईडी नोट संख्या 12-08/2020-ई.IIIA के माध्यम से डीओई के दिनांक 7 जुलाई, 2017 के कार्यालय ज्ञापनों के संबंध में संशोधित दरों के अनुसार एनपीए का भुगतान जारी रखने पर सहमत हो गया है। एनपीए की संशोधित दरें 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होंगी।

तदनुसार, सक्षम प्राधिकारी, सीएसआईआर ने व्यय विभाग के दिनांक 07.07.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12-2/2016-ई.III.ए और दिनांक 07.07.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12-2/2016-ई.III.ए (प्रतियां संलग्न) को दिनांक 01.07.2017 से सीएसआईआर में लागू करने का अनुमोदन प्रदान किया है।

भवदीय,

 05/12/2023

(एम. अरुण मणिकण्ड भारति)

अवर सचिव (नीति प्रभाग)

संलग्न: जैसा ऊपर दिया है

प्रतिलिपि:

- 1) वित्त सलाहकार, सीएसआईआर
- 2) सीएसआईआर वेबसाइट
- 3) कार्यालय प्रति

फा.सं.12-2/2016-ई.॥.ए

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

07 जुलाई, 2017

कार्यालय जापन

विषय: केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में सम्मिलित पदों से भिन्न चिकित्सा पदों के संबंध में प्रैक्टिस बंदी भत्ते की दरों का पुनरीक्षण - सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश।

अधोहस्ताक्षरी को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में सम्मिलित पदों से भिन्न चिकित्सा पदों के लिए स्वीकार्य प्रैक्टिस बंदी भत्ते की विद्यमान दरों के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 30.08.2008 के का.जा. सं.7(19)/2008-ई-॥ए का संदर्भ लेने और यह कहने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय के 25 जुलाई, 2016 के संकल्प सं.1-2/2016-आईसी के पैरा 7 में किए गए प्रावधान के अनुसार, सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित भत्तों (मंहगाई भत्ते को छोड़कर) की दरों के पुनरीक्षण का मामला वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित एक समिति को भेजा गया था और उन पर अंतिम निर्णय लिए जाने तक सभी भत्तों का भुगतान विद्यमान वेतन संरचना (छठे वेतन आयोग पर आधारित वेतन संरचना) में विद्यमान दरों पर इस तरह किया जाना था मानो वेतन 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित ही न किया गया हो। तदनुसार, प्रैक्टिस बंदी भत्ते का भुगतान भी दिनांक 30.08.2008 के उक्त कार्यालय जापन में विनिर्दिष्ट विद्यमान दरों पर किया जाना था।

2. सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर और वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश के आलोक में विभिन्न भत्तों की पुनरीक्षित दरों के संबंध में सरकार का विनिश्चय दिनांक 06.07.2017 के संकल्प संख्या 11-1/2016-आईसी के अनुसार अब अधिसूचित कर दिया गया है।

3. तदनुसार, राष्ट्रपति यह विनिश्चय करते हैं कि दिनांक 30.08.2008 के उक्त कार्यालय जापन में यथा-उल्लिखित प्रैक्टिस बंदी भत्ते की वर्तमान दरों का उपांतरण करते हुए, प्रैक्टिस बंदी भत्ते का भुगतान अब सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रचलित पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन के 20% की दर पर किया जाएगा जैसा कि केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियमावली, 2016 में उल्लेख है, बशर्ते कि मूल वेतन और प्रैक्टिस बंदी भत्ते का जोड़ 2,37,500 रुपए (दो लाख सैंतीस हजार पांच सौ रुपए मात्र) से अधिक न हो। निम्नलिखित शर्तें इन आदेशों के तहत प्रैक्टिस बंदी भत्ते की मंजूरी को विनियमित करेंगी:

- (i) पुनरीक्षित वेतन संरचना में "मूल वेतन" शब्द का अभिप्राय केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 3(X) में यथा-परिभाषित "मूल वेतन" से होगा अर्थात्

अमरनाथ सिंह

पुनरीक्षित वेतन संरचना में "मूल वेतन" का अभिप्राय वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है।

(ii) प्रैक्टिस बंदी भत्ते को सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के साथ-साथ महंगाई भत्ते और अन्य भत्तों, जिनमें वे भत्ते शामिल नहीं हैं जिनके संबंध में लागू आदेशों में अन्यथा प्रावधान हैं, की गणना के प्रयोजन से वेतन माना जाता रहेगा। इन आदेशों के तहत महंगाई भत्ते का अभिप्राय सातवें वेतन आयोग की संबंधित वेतन संरचना में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-स्वीकृत महंगाई भत्ते से है।

(iii) प्रैक्टिस बंदी भत्ता उन चिकित्सा पदों तक सीमित बना रहेगा जिनके लिए भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 अथवा दन्त चिकित्सा अधिनियम, 1948 के तहत मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता एक अनिवार्य अर्हता के रूप में निर्धारित की गई है। निम्नलिखित शर्तों को भी पूरा किया जाएगा जैसा कि अब तक किया जाता था:

(क) यह पद नैदानिक पद है।

(ख) यह पद पूर्णकालिक पद है।

(ग) निजी प्रैक्टिस की प्रचुर संभावना है, और

(घ) जनहित में निजी प्रैक्टिस को प्रतिबंधित करना आवश्यक है।

4. इन आदेशों के अनुसार प्रैक्टिस बंदी भत्ते की पुनरीक्षित दर 01 जुलाई, 2017 से लागू है।

5. रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत चिकित्सा पदों के संबंध में इन मंत्रालयों के संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

अमरनाथ सिंह

(अमर नाथ सिंह)

निदेशक

सेवा में

सभी मंत्रालय एवं विभाग आदि।

प्रतिलिपि: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग को उनके प्रशासनिक नियंत्रण वाली चिकित्सा सेवाओं के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए जाने के लिए अग्रेषित।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय भी क्रमशः केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत चिकित्सा पदों और 'आयुष' के अंतर्गत आने वाले पदों के संबंध में ऐसे ही आदेश जारी करें।

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर पशुचिकित्सा पदों के संबंध में प्रैक्टिस बंदी भत्ते की दरों का पुनरीक्षण।

अधोहस्ताक्षरी को पशुचिकित्सा पदों के लिए स्वीकार्य प्रैक्टिस बंदी भत्ते की विद्यमान दरों के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 30.08.2008 के का.जा.सं.7(19)/2008-ई-।।।।ए का संदर्भ लेने और यह कहने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय के 25 जुलाई, 2016 के संकल्प संख्या 1-2/2016-आईसी के पैरा 7 में किए गए प्रावधान के अनुसार, सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित भत्तों (मंहगाई भत्ते को छोड़कर) की दरों के पुनरीक्षण का मामला वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित एक समिति को भेजा गया था और उन पर अंतिम निर्णय लिए जाने तक सभी भत्तों का भुगतान विद्यमान वेतन संरचना (छठे वेतन आयोग पर आधारित वेतन संरचना) में विद्यमान दरों पर इस तरह किया जाना था मानो वेतन 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित ही न किया गया हो। तदनुसार, प्रैक्टिस बंदी भत्ते का भुगतान भी दिनांक 30.08.2008 के उक्त कार्यालय ज्ञापन में विनिर्दिष्ट विद्यमान दरों पर किया जाना था।

2. सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर और वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश के आलोक में विभिन्न भत्तों की पुनरीक्षित दरों के संबंध में सरकार का विनिश्चय दिनांक 06.07.2017 के संकल्प संख्या 11-1/2016-आईसी के अनुसार अधिसूचित कर दिया गया है।

3. तदनुसार, राष्ट्रपति यह विनिश्चय करते हैं कि दिनांक 30.08.2008 के उक्त कार्यालय ज्ञापन में यथा-उल्लिखित प्रैक्टिस बंदी भत्ते की वर्तमान दरों का उपांतरण करते हुए, प्रैक्टिस बंदी भत्ते का भुगतान अब सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रचलित पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन के 20% की दर पर किया जाएगा जैसा कि केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियमावली, 2016 में उल्लेख है, बशर्ते कि मूल वेतन और प्रैक्टिस बंदी भत्ते का जोड़ 2,37,500 रुपए (दो लाख सैंतीस हजार पांच सौ रुपए मात्र) से अधिक न हो। निम्नलिखित शर्तें इन आदेशों के तहत प्रैक्टिस बंदी भत्ते की मंजूरी को विनियमित करेंगी:

- (i) पुनरीक्षित वेतन संरचना में "मूल वेतन" शब्द का अभिप्राय केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 3(x) में यथा-परिभाषित "मूल वेतन" से होगा अर्थात्

अमरनाथ सिंह

पुनरीक्षित वेतन संरचना में "मूल वेतन" का अभिप्राय वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है।

- (ii) प्रैक्टिस बंदी भत्ते को सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के साथ-साथ महंगाई भत्ते और अन्य भत्तों, जिनमें वे भत्ते शामिल नहीं हैं जिनके संबंध में लागू आदेशों में अन्यथा प्रावधान हैं, की गणना के प्रयोजन से वेतन माना जाता रहेगा। इन आदेशों के तहत महंगाई भत्ते का अभिप्राय सातवें वेतन आयोग की संबंधित वेतन संरचना में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-स्वीकृत महंगाई भत्ते से है।
- (iii) प्रैक्टिस बंदी भत्ता उन पशुचिकित्सा पदों तक सीमित बना रहेगा जिनके लिए पशुचिकित्सा परिषद् में पंजीकरण के साथ पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन स्नातक (बी.वी. एससी. एवं एएच) की उपाधि की न्यूनतम अर्हता अपेक्षित है। निम्नलिखित शर्तों को भी पूरा किया जाएगा जैसा कि अब तक किया जाता था:
- (क) यह पद नैदानिक पद है।
- (ख) यह पद पूर्णकालिक पद है।
- (ग) निजी प्रैक्टिस की प्रचुर संभावना है, और
- (घ) जनहित में निजी प्रैक्टिस को प्रतिबंधित करना आवश्यक है।

4. इन आदेशों के अनुसार प्रैक्टिस बंदी भत्ते की पुनरीक्षित दर 01 जुलाई, 2017 से लागू है।

5. ये आदेश रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत पशु-चिकित्सा पदों के संबंध में लागू नहीं होंगे और उनके लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

अमरनाथ सिंह

(अमर नाथ सिंह)

निदेशक

सेवा में

सभी मंत्रालय एवं विभाग आदि।